टी0ए0 मिस केस सं0 253/2020-21

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
24/12/2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **श्री गोसा बानरा, पिता–स्व० सुरा बानरा, ग्राम–बाईतुईबीर**, थाना–**मुफस्सिल** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **बाईतुईबीर**, थाना नं0– **127**, खाता न0– **37**, प्लॉट न0– **41**, रकवा– 0.10 एकड़ भूमि क्रेता **फुलमती कालुन्डिया, पति– स्व० नारायण कालुन्डिया**, ग्राम– **पुराना चाईबासा**, थाना– **मुफस्सिल** चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम पर खतियान में दर्ज है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक **1177**, दिनांक **26.11.2020** के द्वारा प्राप्त है। बच्चों को उच्च शिक्षा एवं गृह कार्य हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **फुलमती कालुन्डिया, पति– स्व० नारायण कालुन्डिया**, ग्राम– **पुराना चाईबासा**, थाना– **मुफस्सिल** चाईबासा के पास 1,00,000.00/–(एक लाख)रुपया मात्र मे बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी को कोई आपति प्राप्त नहीं हुआ है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदित प्लॉट में शेष भूमि **2.50** एकड़ से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुन्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **श्री गोसा बानरा, पिता– स्व० सुरा बानरा, ग्राम– बाईतुईबीर**, थाना **मुफस्सिल** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **बाईतुईबीर**, थाना नं0– **127**, खाता न0– **37**, प्लॉट न0– **41**, रकवा– 0.10 एकड भूमि को क्रेता **फुलमती कालुन्डिया**, पिता–नरायण कालुन्डिया, ग्राम– **पुराना चाईबासा**, थाना– **मुफस्सिल** चाईबासा जिला– पश्चिमी सिंहभूम के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित 24/12 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 24/12/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	